



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdadmncce@gmail.com

Ph. NO. 0141-2702247 (0)

क्रमांक:-एफ-1(01)पीएस/आकाशि/2023/ 115

दिनांक:- 04-08-2023

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर की अनुशंषा पर प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाकर एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है :-
(विज्ञान-अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.स.	मैरिट क्रमांक	नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	श्रेणी	फोटो	आवंटित राजकीय महाविद्यालय
1	2096	मेहुल सोमपुरा, पुत्र श्री नगीन सोमपुरा, पता- मधुकर गली, सलाटवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर-314025	03/03/1999	GEN-EWS		बांसवाड़ा

(विज्ञान-गैर अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.स.	मैरिट क्रमांक	नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	श्रेणी	फोटो	आवंटित राजकीय महाविद्यालय/कार्यालय
1.	18	मनीषा, पुत्री श्री सुभाष चन्द, पता- ग्राम राठी बास, चिकानी, पोस्ट चिकानी, जिला अलवर-301028	20-03-2000	OBC		ब्यावर
2.	92	सुमित्रा कुमारी जाट, पुत्री श्री शंकर लाल जाट, पता- बधाला की ढाणी, ईटावा भोपजी, चौमू, जयपुर-303804	01-04-1996	OBC		खेतड़ी (झुन्झुनू)
3.	193	प्रकाश मंडा, पुत्र श्री हिरा लाल, पता- टांका स्टेशन, दीनगढ़, आलमसर, धनाऊ, बाड़मेर-344702	22-03-2003	OBC		लूणकरणसर (बीकानेर)
4.	224	नीरज प्रजापत, पुत्र श्री मोहर सिंह, पता- नंगली मेघा, अलवर-301001	24-04-2001	OBC		धौलपुर
5.	236	मुकेश कुमार, पुत्र श्री प्रेमा राम, पता- ग्राम पोस्ट नौख, तहसील एवं जिला बाड़मेर-344001	13-08-2001	OBC		बेगू (चित्तौड़गढ़)
6.	237	रुस्तम जाणी, पुत्र श्री जेठा राम जाणी, पता- गांधी नगर, बाड़मेर-344001	24-06-2000	OBC		निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
7.	300	चन्द्र प्रकाश विश्‍नोई, पुत्र श्री रामा किशन विश्‍नोई, पता- सियागों की ढाणी, सनावड़ा कला, धौरीमन्ना, बाड़मेर-344704	02-05-2002	OBC		झालावाड़

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.04 11:42:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4443462



क्र.स.	मैरिट क्रमांक	नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	श्रेणी	फोटो	आवंटित राजकीय महाविद्यालय/कार्यालय
8.	316	सुशीला स्वामी, पुत्री श्री बन्ना राम स्वामी, पता- काला भाटा की ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर-303805	15-11-1996	OBC		नसीराबाद
9.	409	कंचन विश्वा, पुत्री श्री हीरालाल विश्वा, पता- विश्वा का बास, ग्राम पोस्ट अलाय, जिला नागौर-341001	23-03-2001	OBC		जोधपुर
10.	429	सुमित्रा पटेल, पुत्री श्री भूरा राम, पता- ग्राम पोस्ट सिनली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर-342014	12-02-2001	OBC		सिराही
11.	455	करिश्मा चौधरी, पुत्री श्री छिगना राम गोदारा, पता- ग्राम भेरवास, पोस्ट वाजवास, तहसील परबतसर, जिला नागौर-341503	20-07-2003	OBC		चूरु
12.	491	दीपेन्द्र पारीक, पुत्र श्री रघुवीर पारीक, पता- वार्ड नं. 05, ग्राम अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-332701	10-08-1998	GEN-EWS		भवानीमंडी (झालावाड़)
13.	502	सचिन कुमार शर्मा, पुत्र श्री सुरेश चन्द, पता- ग्राम पोस्ट करनीकोट, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर-301427	20-06-1998	GEN-EWS		करौली
14.	1494	राकेश वर्मा, पुत्र श्री सुभाष वर्मा, पता- वार्ड नं. 08, थालड़का, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़-335524	25-11-2000	OBC-LDCP		तारानगर (चूरु)
15.	2207	निकिता बंसल, पुत्री श्री राम प्रसाद खटीक, पता- मालियों का मोहल्ला, कोठारिया, नाथद्वारा, राजसमन्द-313323	02-02-1999	SC		मण्डफिया (चित्तौड़गढ़)
16.	2336	राजेश कुमार मीना, पुत्र श्री रामहेत मीना, पता- मथुरापुर, पोस्ट आटुन कला, तहसील एवं जिला सवाईमाधोपुर-322001	08-03-1994	ST		भवानीमंडी (झालावाड़)

उक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगी :-

- उक्त अभ्यर्थियों को 02 वर्ष तक परीक्षा काल के दौरान राज्य सरकार के नियमानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक रूपये 18500/- देय होगा।
- नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर वर्णित तालिका में अपने नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय/कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जायेगा।
- जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते दये होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.04 11:42:34 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No. : 4443462



4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, एफ-12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफडी 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006, एफ-6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ-16(2)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ-14(1) एफडी/रूल्स/2009 दिनांक 12.10.2009 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।
5. राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
6. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क-2/23 जयपुर दिनांक 11.05.2023 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे :-
 "मैं शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से पालना करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)।"
7. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ-11/एसटी/एससी/ओबीसी एसबीसी/जा0प्र0प0/सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
8. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
9. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
10. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
11. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
12. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल संख्या L-8 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
13. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022 के लिये निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-15(1)डीओपी/ए-11/74, दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजा0, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.04 11:42:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4443462



क्रमांक:-एफ-1(01)पीएस/आकाशि/2023/ 115

दिनांक:- 04-08-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ14(102)(1)RSSB/अर्थना/प्रयो.सहा./संयुक्त भर्ती/पात्रता जांच/2022/2120 दिनांक 31.05.2023 के क्रम में।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 4- वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 6- निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य-कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण करवाकर रिपोर्ट विभाग की ई-मेल आई.डी jdadmncce@gmail.com या ई-डॉक पर आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
- 8- सम्बन्धित अभ्यर्थी कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राचार्य महोदय को प्रस्तुत करें।
- 9- स्थापना शाखा/कैश शाखा/गोपनीय शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 10- वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 11- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.04 18:42:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4443462

